

23/2/22

पत्रावली पेश हुई। P.O. का पत्र  
पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 24/5/22 को पेश हो 1 2

24/5/2022

पत्रावली पेश हुई। कमील पत्रावली  
 हाथिरी नहीं है। इस न्यायालय में पत्रावली  
 पत्रावली पर गैर-वैधानिक आदेशों  
 काफ़ी समय से जवाब में विचार-धारा है।  
 जवाब मूल काद व P.O. पत्रावली पूर्व में  
 निर्दिष्ट होने से पत्रावली कंटेक्ट आफ कोर्ट  
 (विधि) में आवामी कार्यकेही औचित्यपूर्ण  
 है। अतः पत्रावली अंतर्गत O-9 R-3 के  
 तहत अफ़सु हाथिरी व अफ़सु केंचरी के एवं  
 औचित्यपूर्ण होने के कारण ऐत इइका पत्रावली  
 की जाती है। पत्रावली कंसल सुधार लेखर  
 केसर से कम होकर काखिल दफ़तर से।  
 आदेश करे उजलास सुधार लाकर मेरे  
 हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी  
 किया गया।

सहायक कलक्टर  
 साँभर लेक

